संख्या:134/2019/376/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 13 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र-सोरांव एवं बारा से संबंधित कार्यो हेतु रू. 999.96 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 999.96 (रूपये नौ करोड़ निन्यान्बे लाख छियान्बे हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
1	सोरांव	ग्राम सभा पूरे फौज शाह में पक्की सड़क से लोहार बस्ती सरोज होते हुये प्राचीन मंदिर तक इंटरलाकिंग	0.500	30.99	30.99
2	सोरांव	ग्राम सभा गोवर्धन में राधेश्याम के घर से मुरली सरोज के घर तक सड़क इ0ल0 निर्माण कार्य	0.235	12.95	12.95
3	सोरांव	ग्राम सभा इस्माइलपुर (सूरजभानपुर) काली मार्ग से राम कैलास पासी के घर तक सड़क इ0ल0 निर्माण कार्य	0.140	8.11	8.11
4	सोरांव	ग्राम सभा सरायजीत में प्राथमिक विद्यालय पनक्की सड़क से माता जी के मंदिर तक सड़क इ0ल0 निर्माण कार्य	0.650	49.58	49.58
5	सोरांव	ग्राम सभा बरचनपुर में काली मार्ग से मातादीन पासी के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग	0.100	5.07	5.07
6	सोरांव	ग्राम सभा परमानन्दपुर में पक्की सड़क से पुन्नली लाल के घर तक सड़क इ0ल0 निर्माण कार्य	0.150	7.78	7.78
7	सोरांव	ग्राम सभा गमरहटा में पक्की सड़क लाला सरोज के घर से रामनाथ के घर तक सड़क इ0ल0 निर्माण	0.120	7.31	7.31
8	सोरांव	ग्राम सभा सराय मदन में पक्की सड़क से राम बहादुर के घर तक सड़क निर्माण इंटर लाकिंग कार्य	0.350	22.76	22.76
9	सोरांव	ग्राम सभा जमुआ में पक्की सड़क से काली मंदिर तक सड़क इण्टर लाकिंग	0.450	25.77	25.77
10	सोरांव	ग्राम सभा कटियाही मोहम्मदपुर में काली सड़क से जीत लाल भारतीय के घर तक सड़क इ0ल0	0.190	11.44	11.44

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
11	सोरांव	ग्राम सभा बकसेड़ा में धर्मराज के घर से काली सड़क तक इण्टर लाकिंग निर्माण	0.190	11.44	11.44
12	सोरांव	ग्राम सभा गमहटा में काली सड़क से अशोक पाण्डेय के घर से होते हुये रमेश पटेल के घर तक सड़क निर्माण इ0ल0 कार्य	0.275	16.63	16.63
13	सोरांव	ग्राम सभा दांदूपुर में पक्की सड़क से विनोद शर्मा के घर से फूलचन्द्र सरोज के घर तक सड़क इण्टर लाकिंग कार्य	0.400	21.71	21.71
14	सोरांव	ग्राम सभा मुरादनगर उर्फ खिदिरपुर में हाइवे काली मां के मंदिर से चौराहे तक इण्टर लाकिंग निर्माण	0.400	22.92	22.92
15	सोरांव	ग्राम सभा सराय जोध राय में पक्की सड़क से रोहित गुप्ता के घर कहार बस्ती एवं श्रीवास्तव बस्ती होते हुये सरोज बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य	1.500	95.41	95.41
16	सोरांव	ग्राम सभा पूरे फौज शाह पक्की सड़क से पटेल, पंडितान बस्ती, एस0सी0 ठकुरान बस्ती तक सड़क इ0ला0 निर्माण कार्य	1.550	93.34	93.34
17	सोरांव	ग्राम सभा बघोला में एस0बी0डी0 मार्ग से सरोज बस्ती तक सड़क निर्माण कार्य इ0ला0	0.250	16.85	16.85
18	सोरांव	ग्राम सभा तेलियावीर में पक्की सड़क से हरीराम के घर होते हुये माता के चौरा तक सड़क इ0ला0 निर्माण कार्य	0.700	39.94	39.94
		योग वि0स0 क्षेत्र सोरांव	**8.15**	**500.00**	**500.00**
19	बारा	ग्राम पहाड़ी अतरसुइया ब्लाक जसरा में बब्लू पाण्डेय के घर से प्राइमरी विद्यालय पहाड़ी तक इण्टरलाकिंग	0.2	15.96	15.96
20	बारा	जारी भिस्कुरी माइनर से सरस्वती बाल मंदिर के आगे हरिजन बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.2	20.06	20.06
21	बारा	विकास खण्ड शंकरगढ़ नौढिया उपरहार पक्की रोड से डा0 कैलाश नाथ सिंह डिग्री कालेज तक	0.2	13.2	13.2
22	बारा	बांदा रोड से ग्राम सभा पाडर से हनुमान जी के मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.1	6.55	6.55
23	बारा	वंशीधर द्विवेदी घर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लालापुर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.245	29.3	29.3
24	बारा	डा0 जोगी के घर से बरौंही तालाब होते हुये हनुमान मंदिर तक ग्राम गोल्हैया में इण्टरलाकिंग कार्य	0.2	19.15	19.15
25	बारा	ग्राम सभा कपारी मलापुर में राजाराम के घर से राम भवन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.1	9.34	9.34
26	बारा	ग्राम नचना में अभिलाष काछी के घर से प्राइमरी स्कूल नचना तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.25	13.55	13.55
27	बारा	ग्राम सभा जोरवट में गजराज सिंह के दरवाजे से साधन सहकारी समिति के आगे तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.2	16.54	16.54
28	बारा	ग्राम सभा मझियारी में परमानन्द के घर चैतू पासी के डेरा तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.2	14.66	14.66
29	बारा	ग्राम सभा बवन्धर में शिवबालक राम दूबे के घर से सुरेन्द्र तिवारी के मंदिर के आगे होते हुये निर्भया सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.165	16.56	16.56
30	बारा	ग्राम मानपुर ओझा पटटी में योगेश सिंह के दुकान से भूपेन्द्र सिंह/निर्भय सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	0.2	14.78	14.78

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
31	बारा	ग्राम मानपुर में साधना सिंह के घर से लालापुर अमिलिया मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग	0.256	21.04	21.04
32	बारा	ग्राम सभा चिल्ला में पक्की सड़क मोरी से बोडे सिंह के घर से होते हुये हरिजन बस्ती होते हुये हनुमान मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.15	13.64	13.64
33	बारा	ग्राम माही में अम्बेडकर भवन से प्रेम प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.25	14.36	14.36
34	बारा	ग्राम सभा कपड़ौरा में हौदा तालाब से छपा का पूरा गॉव तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.1	7.81	7.81
35	बारा	ग्राम खूजी में छोटी खूजी की पुलिया से राजमणि प्रधान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.15	12.3	12.3
36	बारा	प्रयागराज रीवा रोड से रविश मिश्रा के घर तक नारी बारी सुरवल चन्देल तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.15	16.82	16.82
37	बारा	रीवा रोड से अम्बिका भारत गैस तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.112	8.9	8.9
38	बारा	ग्राम जोखनई में अकोढ़ा पीडी पक्की सड़क से लेखपाल श्यामलाल के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग	0.25	12.88	12.88
39	बारा	ग्राम सभा सोनपुरा विकास खण्ड शंकरगढ़ राजेन्द्र पुत्र श्री बसंतलाल के घर से जूही जिगना सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.13	10.08	10.08
40	बारा	विकास खण्ड कौधियारा में देवरा कंचनावा मार्ग से विजय बहादुर पाल के घर तक इण्टरलाकिंग	0.2	11.37	11.37
41	बारा	विकास खण्ड कौधियारा में ग्राम सभा बरसवल लाला की बारी में कृष्णराज (कल्लू) के घर तक इण्टरलाकिंग	0.3	23.03	23.03
42	बारा	जरी कौधियारा मार्ग से संतोष मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग	0.1	5.72	5.72
43	बारा	देवरा (बजबना) में ननहई कोल के घर से गुलाब मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग	0.15	8.19	8.19
44	बारा	लक्ष्मीकांत तिवारी के घर से नहर सड़क पिपरहटा तक इण्टरलाकिंग	0.1	4.86	4.86
45	बारा	ग्राम सभा बुंदावा में पुरवा दमगड़ी में नहर से फूलचन्द्र पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.1	5.39	5.39
46	बारा	ग्राम सभा करिया खुर्द में धर्म पाल पटेल के घर से चन्द्रपाल पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग	0.2	15.34	15.34
47	बारा	जूही कोठी बाघला नहर पुलिया से सीघ टिकट सरहद तक इण्टरलाकिंग	0.326	25.48	25.48
48	बारा	ग्राम सभा ओसा हरिजन बस्ती में गणेश कोल के घर से छंगा लाल के घर तक इण्टरलाकिंग	0.12	5.83	5.83
49	बारा	ग्राम सभा हर्रो में राधेश्याम के घर से राजेश सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग	0.1	6.61	6.61
50	बारा	रत्नाकर पटेल के घर से रूवल कोहडिया सम्पर्क मार्ग तक	0.3	20.18	20.18
51	बारा	ग्राम सभा मदनपुर में नहर से पसियान टोला होते हुये प्रदुमान पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग	0.125	8.35	8.35
52	बारा	घूरपुर थाने के बगल रींवा रोड हाइवे से अयोध्या प्रसाद केसरवानी के घर तक इण्टरलाकिंग	0.12	9.11	9.11

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
53	बारा	जोधी मझियारी (शंकरगढ़) काली रोड से बलराम पाल के घर तक इण्टरलाकिंग	0.1	6.69	6.69
54	बारा	रैपुरा जसरा शम्भू पासी के घर से जग्गी लाल कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग	0.106	8.16	8.16
55	बारा	ग्राम पचवर घनश्याम पासी से जगदीश प्रजापति के घर तक इण्टरलाकिंग	0.15	10.45	10.45
56	बारा	गोल्हैया शंकरगढ़ मजरा कचारी में मुन्ना भारतीया के घर से फूलचन्द्र भारतीया के घर तक इण्टरलाकिंग	0.195	12.99	12.99
57	बारा	सोनौरी (ग्राम सभा गोबरा) में झगडू कोल के घर से बन्धारी भारतीया के घर के आगे तक इण्टरलाकिंग	0.072	4.73	4.73
		योग वि0स0 क्षेत्र बारा	**6.672**	**499.96**	**499.96**
		योग जनपद प्रयागराज	**14.822**	**999.96**	**999.96**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:134/2019/376(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रयागराज।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रयागराज।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।